प्रारूप 52

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष
व्यवहार न्यायालय,............

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 एवं नालसा विनियमन, 2009 के अधीन नालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार,................ द्वारा आयोजित)

वाद संख्या...............................

.... याची/वादी/परिवादी

विरूद्ध प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

....

.उपस्थित- पीठ के न्यायिक सदस्य का नामः

गैर न्यायिक सदस्य का नामः1.

2.

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारों ने विवाद/मामले को आपसी समझौते के द्वारा सुलझा लिया है । अतः समझौते की शर्तो के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

....
....
....
....

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि किसी पक्षकार द्वारा यदि न्याय शुल्क का भुगतान किया गया है तो न्यायशुल्क उस पक्षकार को वापस किया जायेगा ।

याची/वादी/परिवादी के हस्ताक्षर दिनांक सहित	प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर

न्यायिक सदस्य के हस्ताक्षर दिनांक सहित	1.सदस्य के हस्ताक्षर दिनांक सहित
	2.सदस्य के हस्ताक्षर दिनांक सहित

दिनांक ....को आयोजित

राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद/मुकदमें को समाप्त कराने हेतु

<u>नोटिस</u>

न्यायालय का नाम..............................

थाना काण्ड/परिवाद पत्र सं0.........................

वाद विचारण संख्या............................

रजि नं0.................................

संबंधित वाद के पक्षकार (अभियुक्त/अभियुक्तगण/सूचक)

आपको सूचित किया जाता है कि आपका उपरोक्त वर्णित वाद सुलहनीय/शमनीय वादों की श्रेणी में चिन्हित किया गया है एवं इसे दिनांक............को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह के आधार पर निपटारे हेतु भेजा जा रहा है ।

अतः यह निर्देश दिया जाता है कि यदि आप सुलह के आधार पर अपने वाद/मुकदमें का निष्पादन कराना चाहते है तो दिनांक.............को सुबह 10.00 बजे व्यवहार न्यायालय......................में उपस्थित रहे । आपका वाद लोक अदालत के किस बेंच के समक्ष है, इसकी जानकारी इस न्यायालय के कार्यालय लिपिक/पीठ लिपिक से प्राप्त करें ।

नोटः आपके वाद/मुकदमें का निपटारा आसानी व शीघ्रता से किया जा सके इसके लिए दिनांक...............से..................के बीच सुबह 10.30 बजे आप उभयपक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार/संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर सुलह समझौते का प्रारम्भिक प्रयास व शुरूआत के लिए विचार विमर्श कर सकतें हैं ।